10.08.2020 बी० ए० - पार्ट-II
Economics (Hons), Paper-I.
Agricultural credit-III
Indian Economy.

Dr. Bipin Kumar
Professor, Deptt. of Economics
R.R.S. College, Mokama.
PPU, Patna

प्रश्न: भारत में कृषि ऋण की प्रमुख समस्याओं एवं उन्हें दूर करने के उपाय बतायें।

उत्तर: स्वतंत्रता के बाद और पूर्व भारतवर्ष में अनेकों समस्यायें भी किसानों से संबंधित थीं जिसमें कृषि ऋण की समस्या और गैर-संस्थागत स्रोतों के माध्यम से किसानों का शोषण सर्वाधिक होता था। इस दिशा में सरकार के द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। के बावजूद इसके कई समस्यायें मौजूद हैं जो निम्नांकित हैं:

① **अपर्याप्त संस्थागत ऋण प्राप्ति:** हमारे देश में, संस्थागत ऋण व्यवस्थाओं जैसे कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सहकारी साख संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से देश के किसानों को जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है -- वह उनकी जरूरतों के मुताबिक काफी कम यानी अपर्याप्त है। अर्थात यह किसानों की ऋण समस्या को दूर करने में असफल एवं विफल रहे हैं।

② **गरीब किसानों पर कम ध्यान:** ऐसा देखा और माना जाता है कि देश में छोटे किसानों की तुलना में मध्यम और बड़े किसानों पर संस्थागत ऋण संस्थानों का ध्यान अधिक रहता है। इस कारण, हमारे देश में जरूरतमंद किसानों और छोटे किसानों और सीमान्त किसानों की पर्याप्त आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल एवं विफल रहा है।

③ **अपर्याप्त राशि:** आजादी के बाद से ही हमारे देश में संस्थागत ऋण एजेन्सियों के द्वारा छोटे एवं सीमान्त किसानों की राशि काफी कम एवं अपर्याप्त रहा है। वह ऋण किसानों के कृषि कार्य की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है। समय पर ऋण नहीं मिलने की समस्याओं के कारण भी है। इस कारण किसान यह ऋण दूसरे अनुत्पादक कार्यों के उद्देश्य को पूरा करने में खर्च करते हैं।

④ **बढ़ते ओवरड्यूज:** हमारे देश में किसानों की खराब ऋण वापसी के फलस्वरूप इस प्रकार के बढ़ते बकाया ऋण की राशि बढ़ी है। कृषि ऋण में, अति-बकाया की समस्या चिन्ता और चुनौती की बात है। इसी कारण, साख संस्थायें किसानों खासकर छोटे एवं सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान करने में सावधानी बरत रही हैं।

⑤ **लाल फीताशाही (Red Tapism):** यह स्पष्ट है कि संस्थागत ऋण संस्थायें लाल फीताशाही के अधीन हैं। इसके फलस्वरूप छोटे एवं सीमान्त किसानों को जटिल एवं कठिन नियमों एवं औपचारिकताओं को लादकर उन्हें परेशान किया जाता है। इससे किसान इन ऋणों से वंचित रहकर महंगे ऋण गैर-संस्थागत स्रोतों से महंगे ऋण प्राप्त करते हैं।

⑥ **अपर्याप्त ऋण क्षेत्र का विस्तार:** आजादी से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं सीमान्त किसानों के बीच संस्थागत एजेन्सियों की समुचित पहुँच नहीं हो पायी है। इसकी बढ़ती आवश्यकता की तुलना में यह काफी कम है, अपर्याप्त है -- इसकी बढ़ती आवश्यकता कृषि आदानों की कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न होती है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए सरकार कृषि क्षेत्र के

पर्याप्त और प्रभावी आधुनिकीकरण हेतु उसके कार्य के तरीकों व्यापक, सरल एवं सुगम ग्रामीण ऋण संरचना का भागी अतिरिक्त आवश्यक है। प्रो॰ डार्लिंग के अनुसार, "कृषि ऋण की एक उचित प्रणाली से न केवल ब्याज की दर कम होगी बल्कि यह एक प्रणाली है जिसमें उत्पादक ऋण धीरे-धीरे अनुत्पादक की जगह ले लेंगे।"

इस प्रकार, भारतवर्ष में कृषि ऋण की सीमाओं और समस्याओं को कम या दूर करने हेतु निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये जा सकते हैं:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्याप्त ऋण-व्यवस्था (का) करनी चाहिए ताकि किसानों पर्याप्त अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन ऋण आसानी से और समय पर मिल सके।

(2) बैंकों को ऋण वितरण की दिशा में अपने कार्य प्रणाली एवं क्रियाओं को सरल, सुगम, आसान एवं युक्तिसंगत एवं किसानोन्मुख बनाने की जरूरत है।

(3) हमारी सरकार को नाबार्ड के द्वारा तैयार योजनाओं के आधार पर किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार समय पर "किसान क्रेडिट कार्ड" पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध [illegible]

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले साहूकारों एवं महाजनों की गतिविधियों और शक्तियों को सरकारी सख्ती, जाँच एवं किसान हित में मजबूती से काम करके किसानों के शोषण को कम एवं छोटे-साहूकारों को कमजोर एवं हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

(5) देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में साख-संस्थाओं एवं उधारकर्ताओं के बीच बिचौलियों सख्तीपूर्वक समाप्त करना आवश्यक है।

(6) सरकार के द्वारा पेश किये जाने वाले आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सेवा ऋण की निगरानी करना।

(7) सहकारी साख संस्थाओं, समितियों को संगठित या एक होकर ग्रामीण ऋण के मामले में इसे कुशल और उद्देश्यपूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और किसान समाज को पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त हो सके।

(8) सरकार को "ऋण गारण्टी योजना" प्रारंभ हो ताकि ऋण प्राप्त करने हेतु किसानों की ओर से गारन्टी प्रदान की जा सके।

(9) कृषि साख को एक प्रभावी पर्यवेक्षी तकनीक सुदृढ़ करके ऋण के वास्तविक उपयोग की निगरानी किये जाने की आवश्यकता है।

(10) हमारे देश में किसानों के साथ आये दिन होनेवाले धोखाधड़ी के मामलों को कम करने, रोकने या दूर करने हेतु सरकार के विभिन्न एजेन्सियों से ऋण-प्राप्ति हेतु प्रत्येक किसान के लिए एक ऐसा "क्रेडिट कार्ड" जारी किया जाए जो किसानों के द्वारा विभिन्न साख संस्थाओं या एजेन्सियों से लिए गए ऋण का विस्तृत विवरण सहित [illegible]

अतः उपरोक्त विश्लेषण से हमारे देश के किसानों की चुनौतीपूर्ण समस्याएँ एवं उनके समाधान के उपाय स्पष्ट हो जाते हैं।